भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5581

27 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

†5581.श्री दीपक अधिकारी (देव):

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में निदान, उपचार योजना और रोगी परिचर्या के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में एकीकृत करने के लिए कार्यक्रम या पहल आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने निदान, उपचार योजना और रोगी डाटा प्रबंधन सहित स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में एआई के नीतिपरक, सुरक्षित और विनियमित उपयोग के लिए कोई विनियामक ढांचा, दिशा-निर्देश या राष्ट्रीय नीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पूर्वानुमानित विश्लेषण (प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स) और टेलीमेडिसिन जैसे एप्लिकेशन के लिए सरकारी अस्पतालों में निजी क्षेत्र / एआई कंपनियों के साथ कोई प्रायोगिक परियोजना या सहयोग आरंभ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या रोगी की सुरक्षा, डाटा गोपनीयता, एल्गोरिथम पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करने और एआई को अपनाने के लिए पूर्वाग्रह, कौशल विकास और अवसंरचना आवश्यकता संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई सुरक्षा उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आवंटित निधि, सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या में एआई के एकीकरण को बढ़ाने के लिए समय-सीमा और सेवा प्रदाय पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय संपूर्ण भारत में जन स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स दिल्ली, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ और एम्स ऋषिकेश को 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)' के रूप में नामित किया है। 'उत्कृष्टता केंद्र' की एआई पहल का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई-आधारित समाधानों के विकास और उपयोग को बढ़ावा देना है।

मंत्रालय ने विभिन्न एआई परियोजनाओं के लिए केंद्रीय क्षय रोग प्रभाग, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, सीडीएसी-मोहाली, आईसीएमआर, एमईआईटीवाई और अन्य प्रमुख संगठनों के साथ सहयोग किया है। इसके अलावा, मंत्रालय ने तीनों सीओई और अन्य सरकारी संस्थानों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए वाधवानी एआई के साथ सहयोग किया है।

कई एआई समाधान विकसित किए गए हैं, जिनमें ई-संजीवनी में नैदानिक निर्णय सहायता प्रणाली (सीडीएसएस), एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) के तहत मीडिया रोग निगरानी, डाइबेटिक रेटिनोपैथी (डीआर पहचान समाधान) और टीबी स्क्रीनिंग के लिए 'कफ अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस' (सीएटीबी) जैसे एआई समाधान शामिल हैं। इनमें से कुछ एआई अनुप्रयोग केंद्रीय और राज्य स्वास्थ्य संस्थानों के सहयोग से संचालित हैं।

मंत्रालय ने 'भारत में स्वास्थ्य सेवा में एआई के लिए कार्यनीति' (एसएएचआई) और 'स्वास्थ्य एआई के लिए बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म' (बीओडीएच) का शुभारंभ किया है। एसएएचआई भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सुरक्षित, नैतिक, साक्ष्य-आधारित, जिम्मेदार और समावेशी रूप से अपनाने में सक्षम बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मार्गदर्शन ढांचा है। 'स्वास्थ्य एआई के लिए बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म' (बीओडीएच) बड़े पैमाने पर लागू करने से पहले एआई समाधानों के परीक्षण और बेंचमार्किंग के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करता है।

इसके अलावा, डेटा गोपनीयता, सहमति और एआई जवाबदेही के लिए सुरक्षा उपायों को डेटा की गोपनीयता, उपयोगकर्ता की सहमति और मानव हस्तक्षेप दृष्टिकोण के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है, जिसमें लागू मानकों और सरकारी नीतियों का पालन किया जाता है, जिनमें एमईआईटीवाई द्वारा जारी एआई शासन दिशानिर्देश, आईसीएमआर द्वारा जैव चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा में एआई के अनुप्रयोग के लिए नैतिक दिशानिर्देश, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश शामिल हैं।
